

फर्द अहकाम

बनाम

सहायक कमिश्नर डायरेक्टोरेट ऑफ़ लैंड रेवेन्यू
3/2023

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेषांक/टिप्पणी |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 20 ² / ₂₀₂₃ | <p>पञ्जवली प्रखण्ड वॉ.फं. 151/3अपप की प्रां.पत्र 151 सीपीसी व प्रां.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गरी। जॉर्जि डी.सि.वत्ता का पुराना कम्पन वही रहे जो उन्होंने प्रां.पत्र में भूमि किरी है तथा कानून किना कि पक्षकारण के मध्य खंडवार का विवाद है। अप्रॉफी डी.सि.वत्ता ने अप्रॉफीगन को पाबंद किया जो कि हैल आपीत की। तथा जाहिर किया कि प्रां.पत्र 151 निम्नलिखित क्वार्टर माल्य में है। किना जोग अप्रॉफी ने प्रां.पत्र 151 में जाहिर किया कि वर्तमान में विवादित आराजी पर स्वयंश आदेश तथा मोके पर कृषि आराजी पा पत्र खंड है जो है तथा उनकी रहनीपों पर कटका कर हो गया है जिन्हे कटवाना जरूरी है ताकि वह टूट कर किरी पर गिर नही जावे। अप्रॉफी व अप्रॉफी की डोगे प्रां.पत्र 151 व अस्थायी निषेधाज्ञा पर की गई बहस का अप व पञ्जवली का सवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारण के मध्य खंडवार का विवाद है शांतिवती भूमि है तथा खलवाड में अवामिक डिडी जारी की जा चुकी है। अतः वाड खाल्पता को रोकने के लिए प्रां.पत्र 151 स्वीकृत किया जाकर अप्रॉफी को पेडो की बह दगाई की अनुमति दी जाकर डिनांक 16¹/₂₀₂₃ को जारी अन्तरिम स्वयंश आदेश को मूलवा के निस्तारण तक स्वापी किया जाता है।</p> | <p>None</p> |

सहायक कमिश्नर
डायरेक्टोरेट ऑफ़ लैंड रेवेन्यू